UPSB040057592022

न्यायालय Addl. Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी- (Smt Vineeta Singh)**, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)-UP01985**

मुकदमा नम्बर–4916 / 2022

प्रेम रंजन जायसवाल **बनाम** उमाकान्त जायसवाल व अन्य

थाना–चोपन, सोनभद्र

08.12.2022:–

पत्रावली तलबी आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार से है कि परिवादी का विवाह दिनांक 28.11.2019 को शिवानी जायसवाल उर्फ पूनम के साथ हुआ था। विवाहोपरान्त उसकी पत्नी घर आयी और बतौर पत्नी रहने लगी। परिवादी को पत्नी के संसर्ग से दिनांक 09.10.2020 को एक लड़की दित्या जायसवाल पैदा हुई। उसकी पत्नी पूनम एक अत्यधिक झगड़ालू किस्म की महिला है जो अधिकांश परिवादी के साथ लड़ाई–झगड़ा व मार–पीट करके अपने मायके चली जाती है तथा आने पर कहती है कि अपने पिता की गांव की जमीन उसके नाम से करवा दो। जबकि ऐसा सम्भव नहीं है। पूर्व में अनेकों बार वह उससे लड़ाई–झगड़ा कर चुकी है और कहती है कि अपने मां–बाप से अलग रहो और यदि ऐसा नहीं करोगे तो उसी घर में आत्महत्या कर लेगें और पूरे परिवार को जेल भेजवा देंगे। घटना दिनांक 30.04.2022 रात्रि के दस बजे की है। जिस समय उसके माता–पिता शादी में झारखण्ड गये हुए थे अचानक पूनक उसके ऊपर चाकू लेकर मारने के लिए दौड़ी उसने जब चाकू छीन लिया। तब वह उसे पकड़कर अपने दांत से शरीर में अनेकों जगह काट दी। वह दर्द से कराहने लगा। दूसरे दिन दिनांक 01.05.2022 को सायं 7.20 बजे उसके ससुराल से उसके ससुर, सास तथा उसकी बहन आदि लोग उसके घर आये और उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे तथा उसे बेरहमी से मारे–पीटे तथा पूनम के सारे कपड़े, जेवरात उसकी माता के सोने का चेन व कंगन लेकर लोगों को मॉ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए पूनम को लेकर वापस चले गये और धमकी दिये कि जल्द ही जान से मारकर फेंक देंगे तथा तुम्हारे पूरे परिवार को मुकदमें में फंसाकर सब लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगे। परिवादी अगले दिन दिनांक 02.05.2022 को थाने पर सूचना दिया और दिनांक 03.05.2022 को जिला अस्पताल राबर्ट्सगंज में अपने चोटों का मुआयना कराया तथा थाने पर सूचना दिया कोई कार्यवाही न होने पर घ ाटना की सूचना दिनांक 06.05.2022 को पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को जरिए रजिस्टर्ड डाक से दिया, लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उक्त आधार पर विपक्षीगण को तलब कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

परिवादी ने परिवाद कथानक के समर्थन में स्वयं को धारा–200 दं.प्र. सं. के अन्तर्गत परीक्षित कराया है तथा धारा–202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत रमेश प्रसाद सी.डब्लू.–1 व मधुरी देवी सी.डब्लू.–2 को परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, उपहति आख्या व आधार कार्ड की छायाप्रति एवं अन्य प्रपत्र दाखिल किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने बयान अं.धारा–200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि'' मेरी पूनम जायसवाल से दिनांक 20.11.2019 को शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पूनम मुझसे लड़ाई–झगड़ा शुरू कर दी कहती थी अपने पिता को गांव की जमीन मेरे नाम करा दो और मॉ–बाप से अलग रहो। हम बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता तो पूनम कहती है कि वो इसी घर में आत्महत्या कर लेगी और मेरे पूरे परिवार को जेल भेजवा देगी। दिनांक 30.04.2022 को मेरे माता–पिता झारखण्ड में शादी में गये थे। रात 10 बजे पूनम मेरे ऊपर चाकू लेकर दौड़ी। हम चाकू छीन लिए। पूनम अपने दांत से हमको कई जगह काट ली। हमको मारी व दांत से काटी। मैंने उनको नहीं मारा। मैंने अपने मॉ–पिता को सूचना दी फोन से। दिनांक 01.05.2022 को पूनम के माता प्रमिला देवी, पिता उमाकान्त जायसवाल, भाई सुरेन्द्र जायसवाल, बहन सुमनलता जायसवाल शाम को मेरे घर आए। आकर सभी लोग हमको गाली देने लगे। सब मिलकर हमको मारे। मेरी बहन निक्की बीच–बचाव करी तो उसको भी धक्का दिये उसके बाद सभी लोग मेरी पत्नी को लेकर व घर से गहने जेवरात, कपड़ा व मेरी मॉ का चैन व कंगन लेकर चले गये। हमको धमकी दिये कि तुमको जान से मारकर फेंक देंगे। मेरे साले ने धमकी दी थी। 02. 05.2022 को चोपन थाने में सूचना दी। कार्यवाही नहीं हुई। 03.05.2 को मेडिकल कराया। मेरी पत्नी तब से लौटकर नहीं आयी। मेरी पत्नी मेरे और मेरे मम्मी पापा पर दहेज का मुकदमा की है। मई में मुकदमा की है। तारीख नहीं पता है''।

अतः मामले में इस स्तर पर परिवादी का प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना है, न तो साक्ष्य का सम्पूर्ण विश्लेषण इस स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से विपक्षी पूनम जायसवाल उर्फ शिवांगी जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323 भा0दं0सं0 व विपक्षीगण उमाकान्त जायसवाल, प्रमिला, सुमनलता जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504 भा0दं0सं0 व विपक्षी सुरेन्द्र जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 में आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के परिशीलन से न्यायालय की राय में विपक्षी पूनम जायसवाल उर्फ शिवांगी जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323 भा.दं.सं. व विपक्षीगण उमाकान्त जायसवाल, प्रमिला, सुमनलता जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504 भा0दं0सं0 तथा विपक्षी सुरेन्द्र जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 में आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अभियुक्ता पूनम जायसवाल उर्फ शिवांगी जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323 भा.दं.सं. में आहूत किया जाता है व अभियुक्तगण उमाकान्त जायसवाल, प्रमिला, सुमनलता जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504 भा0दं0सं0 में आहूत किया जाता है तथा अभियुक्त सुरेन्द्र जायसवाल को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 में आहूत किया जाता है। अभियुक्तगण जरिए सम्मन तलब हो।

परिवादी को आदेशित किया जाता है कि धारा–204 दं.प्र.सं. की पैरवी एवं लिस्ट गवाहान अविलम्ब दाखिल करे।

पत्रावली दिनांक 11.01.2023 को वास्ते हाजिरी अभियुक्त पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सोनभद्र